26/11/24	पत्रावली आज उभयपक्षकारान के शीघ्र सुनवाई के प्रार्थना पत्र पर प्रस्तुत हुई। उभयपक्षकारान मय अधिवक्तागण न्यायालय द्वारा के समक्ष हाजिर आए। सभी ने मिलकर वादग्रस्त आराजी के संबंध में राजीनामा प्रस्तुत किया। राजीनामे के बारे में पूछताछ कर राजीनामा शामिल पत्रावल किया गया। सभी पक्षकारान के राजीनामे पर एवं आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाए गए। राजीनामे का विधिक प्रावधानों के तहत अवलोकन किया गया। वादी एवं प्रतिवादी गण मुस्लिम धर्म से संबंध रखते हैं। (अंजना सहरावत) उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज.)	सलमान खान मकसूद रियाज श्रीमती शकीला पक्षकार

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशिबल्स जज	नम्बर व ता0 अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
वादीगण एवं प्रतिवादी क्र0 2 व 3 प्रतिवादी क्र0 1 के जायज वारिसान है, मुस्लिम स्वीय विधि के अनुसार " एक मुस्लिम काश्तकार के जीवन काल में कोई भी व्यक्ति उसके होने वाले उत्तराधिकार के रूप में दखा नहीं ला सकता है" वादीगणों की स्वीय विधि के अनुसार प्रत्येक मुस्लिम काश्तकार की संपत्ति उसकी स्वअर्जित संपत्ति की तरह शेयर होगी, विरासत के रूप में ~~विरासत~~ खातेदार के निर्वसीयत करने की दशा में उसके उत्तराधिकारियों को स्वीय विधि के अनुसार उस हलक की मौत के उनको हिस्सा मिलेगा। अतः प्रस्तुत राजीनामा स्वीय विधि के विरुद्ध होने के कारण स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण खारिज कर अस्वीकार किया जाता है। अतः हस्तगत वाद खारिज किया जाता है। निर्णय खुले इजलास पढ़कर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नत्थी रीकार्ड हो।	मो.(सलीम) [thumb impression] नाजमा [thumb impression] नाजिया [thumb impression] पहचानकर्ता
(signature) (अंजना सहरावत) उपखण्ड अधिकारी अन्ता जिला बारां (राज0)	साक्षी मो० आलम [thumb impression] मनोज [thumb impression] (signature)